न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए/256/2012

उनवान

1. रामपाल पुत्र हगामी लाल ब्राह्मण निवासी खामोर, तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट/प्रतिवादी संख्या 1

1. महावीर पुत्र हगामी लाल ब्राह्मण निवासी खामोर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
2. रघुवीर पुत्र हगामी लाल ब्राह्मण निवासी खामोर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
3. सीता पुत्री हगामी लाल ब्राह्मण निवासी खामोर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
4. मनभर पुत्री हगामी लाल ब्राह्मण निवासी खामोर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाडा

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा के प्रकरण संख्या 167/08 निर्णय एवं फाईनल डिक्री दिनांक 19.1.2012

अभिभाषक : 1. श्री गोपाल अजमेरा , अधिवक्ता अपीलार्थी
2.श्री अम्बा लाल कुमावत , अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1

आदेश

दिनांक 21.2.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हगामी लाल ब्राह्मण की मृत्यु हो चुकी है। मृतक की पत्नि रसाल, पुत्र रामपाल प्रतिवादी संख्या 1, महावीर वादी, रघुवीर प्रतिवादी संख्या 2, पुत्रियॉ मु0 लाड , मु0 सीता, मु0 मनभर है। मु0 लाड ने अपना हक वादी के पक्ष में त्याग कर दिया है। इसलिए मु0 लाड को उक्त वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है। हक त्याग का नामान्तरकरण संख्या 748 चालू रेकार्ड में हो चुका है। बाकी पुत्रियॉ प्रतिवादी संख्या 4 व 5 है। मु0 रसाल की भी मृत्यु हो चुकी है। इसलिए मु0 रसाल को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है। ग्राम खामोर तहसील शाहपुरा में श्री हगामी लाल जी की आराजियात स्थित है। श्री हगामी लाल जी की मृत्यु हो जाने के कारण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उत्तराधिकारियों के नाम खातेदार की हैसियत से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 व मु0 रसाल व मु0 लाड के खातेदारी में दर्ज हो चुके है। मु0 लाड का नाम हक त्याग के कारण चालू रेकार्ड में दर्ज नहीं है। वादग्रस्त आराजियात कुल किता 14 रकबा 5.99 हेक्टर स्थित है। जिसका इन्द्राज खेवट संख्या 522 संवत 2060 से 2063 में दर्ज रेकार्ड है। वादी उक्त पुश्तैनी आराजियात में संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त कर रहा है। पैदावार लेते समय हिस्से बाबत विवाद होने के कारण वादी पुश्तैनी व संयुक्त आराजियात का बंटवाडा करवाना चाहता है। प्रतिवादीगण को बंटवाडा कराने के लिए कहा तो उन्होनें दिनांक 21.3.2008 को मना कर दिया । अतः वादी का वाद स्वीकार कर वादग्रस्त आराजियात में 1/3 हिस्से का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे ।

2. अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री द्वारा वाद

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पत्र स्वीकार कर वादग्रस्त आराजियात कुल किता 14 रकबा 5.99 हेक्टर में राजस्व रेकार्ड एवं मौके पर कब्जे के अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाडा किये जाने की प्रारंभिक डिक्री जारी की । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रत्यर्थी संख्या 2–4 के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है।

4. अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय की यथासमय जानकारी नहीं हो सकी थी। अपीलार्थी के विरूद्ध एकतरफा निर्णय पारित किया गया था। पटवारी हल्का के माध्यम से दिनांक 16.7.2012 को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई । जानकारी प्राप्त होते ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया ।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। उनका तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है। जिससे अपीलार्थी अपना पक्ष एवं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अधीनस्थ न्यायालय को उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को खारिज किया जावे।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने वादग्रस्त आराजियात में अपना 1/3 हक हिस्सा होने का कथन किया है जबकि वास्तव में प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी का वादग्रस्त आराजियात में 1/3 हक हिस्सा नहीं बनता है । अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त फरमाई जावे। साथ ही यह भी निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय विभाजन बाबत नियम 18 से 21 के तहत पारित नहीं कर कब्जे अनुसार विभाजन किये जाने की डिक्री पारित करने में भूल की है।

7. अधिवक्ता प्रत्यर्थी का निवेदन है कि राजस्व रेकार्ड के अनुसार एवं मौके के कब्जे अनुसार वादग्रस्त आराजियात का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन किये जाने की प्रारंभिक डिक्री पारित की गई हैं। जो विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

8. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त आराजियात जोकि पुश्तैनी थी। उसमें अपना हक हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज अनुसार बंटवाडा किये जाने की डिक्री चाही गई थी। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी/अपीलार्थी को नोटिस की तामिल कराई गई । बाद तामिल अपीलार्थी/प्रतिवादी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध दिनांक 17.4.2009 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

9. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार एवं मौके पर कब्जे को ध्यान में रखते हुए मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर प्रारंभिक डिक्री पारित की गई है। अतः प्रतिवादी का यह कथन कि राजस्व नियम 18–21 के तहत निर्णय पारित नहीं किया गया, सही नहीं है। यह कथन भी नहीं किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा न बनकर कम कैसे बनता है ? यदि अपीलार्थी/प्रतिवादी को कोई आपत्ति हो तो वह बंटवाडा प्रस्ताव बनाते समय अपना पक्ष प्रस्तुत कर उसका निस्तारण करा सकते हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपीलाधीन प्रारंभिक डिक्री पारित की गई है उसमें राजस्व रेकार्ड, मौके पर कब्जे को ध्यान में रखते हुए मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन किये जाने की डिक्री पारित की है । जो विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

10. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.1.2012 को यथावत रखा जाता है । पर्चा डिक्री मूर्तिब की जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 21.02.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

21/2/18

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी –श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए / 256 / 2012

उनवान

1. रामपाल पुत्र हगामी लाल ब्राह्मण निवासी खामोर, तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट / प्रतिवादी संख्या 1

1. महावीर पुत्र हगामी लाल ब्राह्मण निवासी खामोर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
2. रघुवीर पुत्र हगामी लाल ब्राह्मण निवासी खामोर तहसील शाहपुरा
3. सीता पुत्री हगामी लाल ब्राह्मण निवासी खामोर तहसील शाहपुरा
4. मनभर पुत्री हगामी लाल ब्राह्मण निवासी खामोर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाडा

प्रत्यर्थीगण

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा के प्रकरण संख्या 167 / 08 निर्णय एवं फाईनल डिक्री दिनांक 19.1.2012

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए / 256 / 2012** मे **उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डि्क्री जारी की जाती हैं:–

यह अपील तारीख 21.2.2018 को अपीलाण्ट की ओर से श्री गोपाल अजमेरा वकील एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से अम्बालाल कुमावत की उपस्थिति मे दिनांक 21.2.2018 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.1.2012 को यथावत रखा जाता है ।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 21.2.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डि्क्री जारी की जाती है।

21/2/18

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील